रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 14, 2012/ज्येष्ठ 24, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 62
No. 103] DELHI, THURSDAY, JUNE 14, 2012/JYAISTHA 24, 1934 [N.C.T.D. No. 62

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 14 जून, 2012

फा. सं. 01(31)/2011-एसबी/आरआर/632-638.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधि-सूचना सं. फा. 24/78/68-डीएच (एस) के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् :—

(i) इसके साथ संलग्न अनुसूची में गोविन्द बल्लभ पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में (i) प्रोफेसर (तकनीकी/गैर-तकनीकी) (ii) एसोसिएट प्रोफेसर (तकनीकी/गैर-तकनीकी) तथा (iii) सहायक प्रोफेसर (तकनीकी/गैर-तकनीकी) के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं से संबंधित नियम बनाते हैं;

(ii) गोविन्द बल्लभ पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 25-6-2010 की अधिसूचना सं. फा. 1(131)/जीबीपीईसी/2010/1030 के अनुसार अधिसूचित (i) प्रोफेसर (तकनीकी/गैर-तकनीकी) (ii) सहायक प्रोफेसर (तकनीकी/गैर-तकनीकी) तथा (iii) व्याख्याता (तकनीकी/गैर-तकनीकी) के पद के भर्ती नियमों को निरस्त करते हैं ।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद अथवा गैर-चयन पद है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i) प्रोफेसर (तकनीकी/गैर-तकनीकी)	*07(2012) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अलिपिकीय	37,400-67,000 रुपये तथा एजीपी 10,000 रुपये (43,000 रुपये के स्तर पर निश्चित होगी)	लागू नहीं	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीप :** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार दीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य (तकनीकी पदों के लिये) सुसंगत शाखा में बी.ई./बी.टैक तथा एम.ई./एम. टैक प्रथम श्रेणी सहित अथवा समकक्ष अथवा चाहे बी.ई./बी. टैक तथा एम.ई./एम. टैक तथा पीएचडी अथवा समुचित शाखा में समकक्ष । पीएचडी उपरान्त प्रकाशन तथा पीएचडी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना अत्यन्त वांछनीय है ।	लागू नहीं	एक वर्ष, सीधी भर्ती वालों के लिये

अनुभव :

अध्यापन/अनुसंधान/उद्योग का न्यूनतम 10 वर्षीय अनुभव जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव एसोसिएट प्रोफेसर स्तर का होना चाहिए ।

अथवा

अध्यापन तथा/अथवा अनुसंधान तथा/अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्षीय अनुभव ।

अनुसंधान अनुभव अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड तथा पुस्तकें अनुसंधान दस्तावेज प्रकाशनों/आईपीआर/पेटेंट रिकार्ड के मामले में अपेक्षित होगा जैसा कि चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उचित समझा जाये ।

यदि उद्योग में अनुभव विचारणीय है, तो एसोसिएट प्रोफसर के समकक्ष प्रबंधकीय स्तर का होगा, डिवाइजिंग/डिजाइनिंग, योजना, कार्यकारी, विशलेषण, नवाचार, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकें/अनुसंधान दस्तावेज प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंट इत्यादि में सक्रिय भागीदारी रिकार्ड सहित, चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा जैसा उचित समझा जाए ।

टीप 1 : किसी विशेष इंजीनियरिंग विधा/शाखा में विशिष्टता संबंधी सटीक अपेक्षाएं प्रत्येक भर्ती के समय उल्लेख की जायेंगी ।

टीप 2 : यदि वर्ग/श्रेणी नहीं दी गई है कुल अंकों का न्यूनतम 60 प्रतिशत प्रथम वर्ग/श्रेणी के समकक्ष माना जायेगा । यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली स्वीकार की जाती है सीजीपीए को निम्नलिखित समकक्ष अंकों के परिवर्तित किया जायेगा ।

ग्रेड प्वाइंट	अंकों का प्रतिशत
6.25	55
6.75	60
7.25	65
7.75	70
8.25	75

टीप 3 : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी होगी ।

टीप 4 : पीएचडी के लिये समतुल्यता पांच अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के लेखों के प्रकाशन पर आधारित है । प्रत्येक पत्रिका के लेख का लाभ इन्टेक्श 2.0 से कम नहीं होगा जबकि व्यक्ति इसमें मुख्य लेखक रहा हो तथा सभी पांच प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता क्षेत्र से हों ।

टीप 5 : सहायक प्रोफेसर प्रत्याशी के लिये सहायक प्रोफेसर स्तर का अनुभव एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर के अनुभव के समकक्ष विचारणीय होगा । बशर्ते कि प्रत्याशी सहायक प्रोफेसर ने संबंधित विधा में पीएचडी डिग्री हासिल कर ली है या की हुई थी ।

(7)

टीप 6 : डिप्लोमा संस्थानों से अनुभव उपयुक्त स्तर पर डिग्री स्तरीय संस्थानों के अनुभव के समकक्ष भी माना जाता है तथा यथा लागू तथापि उक्त योग्यताएं अनिवार्य होंगी।

टीप 7 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, लिखित कारणों से, योग्यताएं संघ लोक सेवा आोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

टीप 8 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

अनिवार्य : (गैर-तकनीकी पदों के लिये)

(क) (i) सम्बद्ध/सहबद्ध/प्रासंगिक विषय में पीएचडी योग्यताओं सहित कोई प्रतिष्ठित शोधकर्ता तथा उच्चतर का प्रकाशित कार्य, पुस्तकें तथा/अथवा शोध/नीतिगत लेखों के रूप में कम से कम 10 प्रकाशनों सहित प्रकाशित कार्य के प्रमाण सहित शोध में सक्रियता के साथ कार्यरत।

(ii) किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्यापन का न्यूनतम 10 वर्षीय अनुभव, तथा/अथवा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों/उद्योगों में शोध का अनुभव, जिसमें डाक्टरेल स्तर पर शोध के लिए प्रत्याशियों को मार्गदर्शन का अनुभव।

(iii) शैक्षिक अभिनव, पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रमों के अभिकल्पना में योगदान, प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया में योगदान।

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित कार्य प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) पर आधारित शैक्षिक कार्य प्रदर्शन संकेतक (एपीआई) में यथा निर्धारित न्यूनतम स्कोर।

अथवा

(ख) सम्बद्ध क्षेत्र में सुस्थापित प्रतिष्ठित कोई श्रेष्ठ व्यवसायी जिसने सम्बद्ध/सहबद्ध/प्रासंगिक विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया है जिसकी पुष्टि साक्ष्यों से हो।

टीप 1 : विशेषज्ञता सहित मानविकी/विज्ञान के किसी विशेष विषय/क्षेत्र की उचित अपेक्षा प्रत्येक भर्ती के समय उल्लिखित की जाएगी।

टीप 2 : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पीचडी होगी।

टीप 3 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, लिखित कारणों से, योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

टीप 4 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है ।
(12)	(13)
'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) 1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार —अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव/विभाग में संबंधित सचिव —सदस्य 3. संबंधित विभागाध्यक्ष, तब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ii) एसोसिएट प्रोफेसर (तकनीकी/गैर-तकनीकी)	*13(2012) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अलिपिकीय	37400-67000 रुपये 9000 रुपये एजीपी सहित	लागू नहीं	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीप :** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार दीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।

(7)	(8)	(9)
अनिवार्य (तकनीकी पदों के लिये) सुसंगत शाखा में बी.ई./बी.टैक तथा एम.ई./एम. टैक प्रथम श्रेणी सहित अथवा समकक्ष अथवा चाहे बी.ई./बी. टैक तथा एम.ई./एम. टैक तथा पीएचडी अथवा समचित शाखा में समकक्ष । पीएचडी उपरान्त प्रकाशन तथा पीएचडी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना अत्यन्त वांछनीय है । **अनुभव :** अध्यापन/अनुसंधान/उद्योग का न्यूनतम 5 वर्षीय अनुभव जिसमें से कम से कम 2 वर्ष का पीएचडी उपरान्त अनुभव वांछनीय है । **टीप 1 :** विशेषज्ञता सहित इंजीनियरिंग विधा/शाखा की उचित अपेक्षा प्रत्येक भर्ती के समय उल्लिखित की जायेंगी । **टीप 2 :** यदि वर्ग/श्रेणी नहीं दी गई है कुल अंकों का न्यूनतम 60 प्रतिशत प्रथम वर्ग/श्रेणी के समकक्ष माना जायेगा । यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली स्वीकार की जाती है सीजीपीए को निम्नलिखित समकक्ष अंकों के परिवर्तित किया जायेगा । ग्रेड प्वाइंट — अंकों का प्रतिशत 6.25 — 55 6.75 — 60 7.25 — 65 7.75 — 70 8.25 — 75 **टीप 3 :** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी होगी ॥	लागू नहीं	एक वर्ष, सीधी भर्ती वालों के लिये ।

(7)

टीप 4 : पीएचडी के लिये समतुल्यता पांच अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के लेखों के प्रकाशन पर आधारित है । प्रत्येक पत्रिका के लेख का लाभ इन्टेक्श 2.0 से कम नहीं होगा जबकि व्यक्ति इसमें मुख्य लेखक रहा हो तथा सभी पांच प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता क्षेत्र से हों ।

टीप 5 : डिप्लोमा संस्थानों से अनुभव उपयुक्त स्तर पर डिग्री स्तरीय संस्थाओं के अनुभव के समकक्ष भी माना जाता है तथा यथा लागू तथापि उक्त योग्यताएं अनिवार्य होंगी ।

टीप 6 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, लिखित कारणों से योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं ।

टीप 7 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं ।

अनिवार्य : (गैर तकनीकी पदों के लिये)

(i) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड सहित संबंधित/सम्बद्ध/प्रासंगिक विषय में पीएचडी डिग्री ।

(ii) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक सहित मास्टर डिग्री (या जहां ग्रेडिंग प्रणाली है प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड)

(iii) किसी शैक्षिक/शोध पद पर अध्यापन तथा/अथवा शोध का आठ वर्ष का न्यूनतम अनुभव, यह किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय या ख्याति प्राप्त शोध संस्थान में सहायक प्राध्यापक के पद के समकक्ष हो, प्रकाशित कार्य के साक्ष्य सहित पीएचडी शोध की अवधि तथा पुस्तकें तथा/अथवा शोध नीति पत्र के रूप में न्यूनतम पांच प्रकाशनों सहित ।

(iv) शैक्षिक अभिनव, पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रमों के अभिकल्पन में योगदान, प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया में योगदान । डाक्टरेल प्रत्याशियों तथा अनुसंधानकर्ता विद्यार्थियों को मार्गदर्शन के साक्ष्य सहित ।

(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित कार्य प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) पर आधारित शैक्षिक कार्य प्रदर्शन संकेतक (एपीआई) में यथा निर्धारित न्यूनतम स्कोर ।

टीप 1 : विज्ञान/मानविकी के किसी विषय/क्षेत्र की उचित अपेक्षा प्रत्येक भर्ती के समय उल्लिखित की जाएगी ।

टीप 2 : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी होगी ।

टीप 3 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, लिखित कारणों से, योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं ।

टीप 4 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं ।

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

(12)	(13)
'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) 1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार —अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव/विभाग में संबंधित सचिव —सदस्य 3. संबंधित विभागाध्यक्ष, तब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(iii) सहायक प्रोफेसर (तकनीकी/गैर तकनीकी)	*40(2012) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अलिपिकीय	15600-39100 रुपये तथा 6000 रुपये एजीपी सहित	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीप :** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।

(7)	(8)	(9)
अनिवार्य (तकनीकी पदों के लिये) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समुचित शाखा में बी.ई./बी.टैक तथा एम.ई./एम. टैक में किसी में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष । **टीप 1 :** किसी विशेष इंजीनियरिंग विधा/शाखा में विशिष्टता संबंधी सटीक अपेक्षाएं प्रत्येक भर्ती के समय उल्लेख की जाएंगी । **टीप 2 :** यदि वर्ग/श्रेणी नहीं दी गई है कुल अंकों का न्यूनतम 60 प्रतिशत प्रथम वर्ग/श्रेणी के समकक्ष माना जाएगा । यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली स्वीकार की जाती है सीजीपीए को निम्नलिखित समकक्ष अंकों के परिवर्तित किया जाएगा । ग्रेड प्वाइंट — अंकों का प्रतिशत 6.25 — 55 6.75 — 60 7.25 — 65 7.75 — 70 8.25 — 75 **टीप 3 :** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर लिखित रिकार्ड के पश्चात शिथिलनीय हैं । **अनिवार्य : (गैर तकनीकी)** (i) संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा यथापरिभाषित अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ मास्टर स्तर पर किसी भारतीय विवविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम	लागू नहीं	एक वर्ष, सीधी भर्ती वालों के लिये

(7)

55 प्रतिशत अंक (या जहां ग्रेडिंग प्रणाली है प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) सहित मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री।

(ii) यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा गठित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त समान परीक्षाएं जैसे एसएलईटी/एसईटी परीक्षा उत्तीर्ण की हों।

(iii) उक्त (i) तथा (ii) में उल्लिखित के रहते हुए भी ऐसा प्रत्याशी जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएचडी डिग्री अवार्ड हेतु न्यूनतम मानदंड एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएचडी है या यह डिग्री प्रदान की गई है उन्हें विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसर या समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति हेतु एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की न्यूनतम पात्रता शर्त की आवश्यकता से छूट होगी।

(iv) एनईटी/एसएलईटी/एसईटी उन विधाओं के मास्टर डिग्री कार्यक्रम के लिये भी अपेक्षित नहीं होगी जिनके लिये एनईटी/एसएलईटी/एसईटी परीक्षा नहीं ली जाती।

टीप 1 : पीएचडी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से होगी।

टीप 2 : विज्ञान/मानविकी के विषय/विधा में सटीक अपेक्षाएं प्रत्येक भर्ती के समय उल्लेख की जाएंगी।

टीप 3 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर लिखित रिकार्ड के पश्चात शिथिलनीय है।

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

(12)	(13)
'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) 1. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार —अध्यक्ष 2. विभाग में प्रधान सचिव/संबंधित सचिव —सदस्य 3. विभागाध्यक्ष, तब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिले के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एस. एन. झा, निदेशक (टीटीई)

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 14th June, 2012

No. F. 1(31)/2011-SB/RR/632-638.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. 24/78/68-DH(S) dated 24th September, 1968, the Lt. Governor to National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Services Commission is pleased to :—

(a) make the rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of (i) Professor (Technical/Non-Technical), (ii) Associate Professor (Technical/Non-Technical) and (iii) Assistant Professor (Technical/Non-Technical) in Govind Ballabh Pant Engineering College, Government of National Capital Territory of Delhi, Delhi.

(b) to cancel recruitment rules for the posts of (i) Professor (Technical/Non-Technical), (ii) Assistant Professor (Technical/Non-Technical) and (iii) Lecturer (Technical/Non-Technical) in Govind Ballabh Pant Engineering College, Government of National Capital Territory of Delhi, Delhi notified *vide* Notification No. F. 1(131)/GBPEC/2010/1030 dated 25-6-2010.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Post	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational & other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
(I) Professor (Technical /Non-Technical)	07* *(2012) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "A", Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 37,400-67,000 with AGP of Rs. 10,000/- (shall be fixed at a stage not below Rs. 43,000/-)	N.A.	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshdweep)	Essential: (For Technical) B.E./B.Tech. and ME/M Tech in relevant branch with First Class or equivalent either in BE/B Tech or ME./ M Tech and PhD, or equivalent in appropriate discipline. Post Ph.D. publications and guiding PhD Student is highly desirable. **Experience:** Minimum of 10 years teaching/ research/ industrial experience out of which at least 5 years should be at the level of Associate Professor. OR Minimum of 13 years experience in teaching and/ or Research and / or Industry. In case of research experience, good academic record and books/research paper publications / IPR / Patents record shall be required as deemed fit by the expert members of the Selection committee. If the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to Associate Professor **with active participation record in devising / designing,** planning, executing, analyzing, quality control, innovating,

training, technical books/research paper publications / IPR / patents, etc. as deemed fit by the expert members of the selection committee.

Note 1:- The exact requirement of a particular engineering discipline/branch with specialization will be indicated at the time of each recruitment.

Note 2:- If a Class/division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/division. If a Grade Point system is adopted the CGPA will be converted into equivalent marks as below:-

Grade Point	Percentage of marks
6.25	55%
6.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

Note 3:- PhD shall be from a recognized University.

Note 4:- Equivalence for PhD is based on publication of 5 International Journal papers, each journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main author and all 5 publications being in the authors' area of specialization.

Note 5:- For an incumbent Assistant Professor, experience at the level of Assistant Professor will be considered equivalent to experience at the level of Associate Professor, provided the incumbent Assistant Professor has acquired or acquires Ph.D degree in the relevant discipline.

Note 6: Experience at Diploma Institution is also considered equivalent to experience is degree level institutions at appropriate level and as applicable. However qualifications as above shall be mandatory.

Note-7: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

						Note-8: The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of the selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Essential: (For Non-Technical) A. (i). An eminent scholar with Ph.D. qualification(s) in the concerned / allied/ relevant discipline and published work of high quality, actively engaged in research with evidence of published work with a minimum of 10 publications as books and/or research/policy papers. (ii). A minimum of ten years of teaching experience in university/college, and /or experience in research at the University/National level Institutions/ Industries, including experience of guiding candidates for research at doctoral level. (iii). Contribution to educational innovation, design of new curricula and courses, and technology-mediated teaching learning process. (iv). A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS), set out by the UGC. OR B: An outstanding professional, with established reputation in the relevant field, who has made significant contributions to the knowledge in the concerned/allied/relevant discipline, to be substantiated by credentials. Note 1:- The exact requirement of a particular subject/discipline of Humanities/Sciences with specialization will be indicated at the time of each recruitment. **Note 2:-** Ph.D. shall be from a recognized University.

						Note 3: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 4: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & % of the vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption Grade from which promotion/ deputation/absorption to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
N.A..	1 Year for Direct Recruits.	By Direct Recruitment	N.A.	Group - A DPC (for confirmation):- 1. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi - Chairman 2. Principal Secretary/ Secretary concerned in the Department - Member 3. Head of Department concerned unless He/She is ex-Officio Secretary, Govt. of NCT of Delhi- Member	Consultation with UPSC necessary

1	2	3	4	5	6	7
(II) Associate Professor (Technical / Non Technical)	13* *(2012) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "A", Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 37400-67000 with AGP of Rs. 9000/-	N.A.	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note** : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep.)	Essential: (For Technical) B.E./B.Tech. and ME/M Tech in relevant branch with First Class or equivalent either in BE/B Tech or ME./M.Tech and Ph D or equivalent in appropriate discipline. Post Ph.D. publications and guiding PhD Student is highly desirable. **Experience:-** Minimum of 05 years experience in teaching/ research/ industry of which 2 years post Ph D experience is desirable. **Note 1:-**The exact requirement of a particular engineering discipline/branch with specialization will be indicated at the time of each recruitment. **Note 2:-** If a Class/division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/division. If a Grade Point system is adopted the CGPA will be converted into equivalent marks as below:-

Grade Point	Equivalent Percentage.
6.25	55 %
6.75	60 %
7.25	65 %
7.75	70 %
8.25	75 %

Note 3:- PhD shall be from a recognized University.

Note 4:- Equivalence for PhD is based on publication of 5 International Journal papers, each journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main author and all 5 publications being in the authors' area of specialization.

Note 5: Experience at Diploma Institution is also considered equivalent to experience is degree level institutions at appropriate level and as applicable. However qualifications as above shall be mandatory.

Note-6 Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note-7: The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes, if at any stage of the selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Essential: (For Non-Technical)

(i). Good Academic record with a Ph.D Degree in the

2124DG/12—4

						concerned/allied/relevant disciplines. (ii). A Master's Degree with at-least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed). (iii). A minimum of Eight years of experience of teaching and/or research in an academic/ research position equivalent to that of Assistant Professor in a University, College or Accredited Research Institution/Industry excluding the period of Ph. D research with evidence of published work and a minimum of 5 publications as books and/or research/policy papers. (iv). Contribution to educational innovation, design of new curricula and courses, and technology-mediated teaching learning process with evidence of having guided doctoral candidates and research students. (v). A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS), set out by the UGC. **Note 1:-** The exact requirement of the subject /discipline of Science/Humanities, will be indicated at the time of each recruitment. **Note: 2.** Ph. D shall be from a recognized University. **Note 3:** Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 4:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
N.A..	1 Year for Direct Recruits.	By Direct Recruitment	N.A.	Group - A DPC (for confirmation):- 1. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi - Chairman 2. Principal Secretary/ Secretary concerned in the Department - Member 3. Head of Department concerned unless He/She is ex-Officio Secretary, Govt. of NCT of Delhi- Member	Consultation with UPSC necessary .

1	2	3	4	5	6	7
(III) Assistant Professor (Technical / Non Technical)	40 * *(2012) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "A", Gazetted, Non-Ministerial	Rs.15600-39100 with AGP of Rs. 6000/-	N.A.	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government Servants upto 05 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul	Essential: (For Technical) B.E. / B.Tech and ME/M Tech in relevant branch with First Class or equivalent either in BE/B Tech or ME / M.Tech from a recognized University. Note 1:- The exact requirement of a particular engineering discipline/branch with specialization will be indicated at the time of each recruitment. Note 2:- If a Class/division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/division. If a Grade Point system is adopted the CGPA will be converted into equivalent marks as below:- Grade Point – Equivalent Percentage. 6.25 – 55 % 6.75 – 60 % 7.25 – 65 % 7.75 – 70 % 8.25 – 75 %

2124 DG/12-5

					and Spiti Distrrict and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep.)	Note-3: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Essential: (For Non-Technical) i). Good Academic record as defined by the concerned University with atleast 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level in a relevant subject from an Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign University. (ii).Passed the National Eligibility Test conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET. (iii) Notwithstanding anything contained in (i) and (ii) above, the candidates, who are, or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions. (iv) NET/SLET/SET shall also not be required for such masters programme in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted. Note 1:- Ph.D. shall be from a recognized University. Note 2:- The exact requirement of the subject/discipline of Science/Humanities, will be indicated at the time of each recruitment. Note 3: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

8	9	10	11	12	13
N.A.	1 Year for Direct Recruits.	By Direct Recruitment	N.A.	Group - A DPC (for confirmation):- 1. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi - Chairman 2. Principal Secretary/ Secretary concerned in the Department - Member 3. Head of Department concerned unless He/She is ex-Officio Secretary, Govt. of NCT of Delhi- Member	Consultation with UPSC necessary

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

S. N. JHA, Director (TTE)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.